प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 20 सन 2021
अनवान :–

1. अमीचन्द पुत्र भागाराम जाति छीपा (छीपी) निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. पूर्णराम पुत्र भागाराम जाति छीपा (छीपी) निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
3. वेगराज पुत्र भागराम जाति छीपा (छीपी) निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 3.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 116/116 की कुल 11.0030हैक्ट एव रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 90/102 की कुल 12.2400हैक्ट भूमि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 ,3 खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण भागीरथ दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता का सही नाम भागाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी के पिता का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम भागीरथ दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड बाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ,3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर एवं मजमे आम में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता के नाम को तरदीक करने के कारण राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 116/116 की कुल 11.0030हैक्ट एव रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 90/102 की कुल 12.2400हैक्ट भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ,3 खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम भागीरथ दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम भागाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी के पिता का नाम भागाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से सच्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा गिनकदेसर के खाता संख्या 116/116 की कुल 11.0030हैक्‍ एव रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 90/102 की कुल 12.2400हैक्‍ भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम भागीरथ दर्ज के स्थान पर भागाराम उर्फ भागीरथ संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोखा (बीकानेर)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ...पाण्डुसर

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 1143 दिनांक :– 17/12/21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 20 / 2021 अनवानी भागाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. अमीचन्द पुत्र भागाराम जाति छीपा (छीपी) निवारी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
अप्रार्थी

2. पूर्णराम पुत्र भागाराम जाति छीपा (छीपी) निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
3. बेगराज पुत्र भागराम जाति छीपा (छीपी) निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 116 / 116 की कुल 11. 0030हैक्‍ एव रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 90 / 102 की कुल 12.2400हैक भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम भागीरथ दर्ज के स्थान पर भागाराम उर्फ भागीरथ संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के सगं अभियान–2021
कैम्प कोर्ट .पाण्डुसर

Scanned with CamScanner